जनपद - संतकबीरनगर　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　दिनॉक 22-04-2021

आज दिनांक 22.04.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 177/ 2021 धारा 363 / 366 / 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त नाम पता राकेश गौड़ पुत्र राम प्रसाद गौड़ उर्फ पप्पू निवासी ऊनखास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 19.03.2021 को वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाना व उसके साथ दुष्कर्म कारित करना जिस संबन्ध में वादी द्वारा दिनांक 20.03.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा बनायी गयी पुलिस टीम द्वारा मेहदावल बाईपास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अमित कुमार चतुर्वेदी (प्रभारी चौकी बघौली) हे0कां0 राणा प्रताप यादव, कां0 सोमदत्त साहनी, म0आ0 अजंनी गुप्ता।

दहेज के लिए हत्या करने में वांछित अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 126 / 2021 धारा 498 ए / 304 बी / 504 भादवि व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्तगण नाम पता 01- रामधारी पुत्र बैजनाथ 2- बैजनाथ पुत्र अज्ञात निवासी महोबरी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 16.04.2021 को वादी की लड़की को दहेज न देने के कारण हत्या कर दिया गया था तथा मृतका के परिजनों द्वारा पूछने पर गाली गुप्ता दिया गया था, जिस संबन्ध में वादी द्वारा दिनांक 16.04.2021 को थाना महुली पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध घटित होने पर थाना महुली पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए उक्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु टीमे लगायी गयी थी आज दिनांक को थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- व0उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 जीतेन्द्र सिंह, हे0कां0 जगदम्बा तिवारी।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 15 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3308 द्वारा मारपीट / विवाद में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल– पीआरवी 3308 को थाना थाना महुली क्षेत्रान्तर्गत नीबाहोरिल से इवेन्ट संख्या 04964 से कालर ने दो पक्षों के बीच मारपीट से दो व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा समय से पहुंचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों 108 एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नाथनगर भेजवाया गया तथा घटना को संबन्ध में थाना महुली को बताया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचायी गयी जिसकी स्थानीय व्यक्ति द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – आ0 दीपक कुमार, हो0चा0 अशोक पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 139 वाहनो से 177000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 22.04.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 139 वाहनो से 177000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।